Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **उदयपुर में नगर निगम का अधिशासी अभियंता 50 हजार रुपये रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *19 अक्टूबर, गुरूवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अवैस मोहम्मद अधिशासी अभियंता, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत के रूप में लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक (अतिरिक्त चार्ज) श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा नगर निगम उदयपुर में विभिन्न उद्यानों के संधारण एवं रखरखाव कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान में कमीशन की एवज में अवैस मोहम्मद अधिशासी अभियंता, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर द्वारा **50 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के निर्देशन में एसीबी की स्पेशल यूनिट, उदयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री रतन सिंह राजपुरोहित** द्वारा मय टीम ट्रेप कार्यवाही करते हुये अवैस मोहम्मद पुत्र श्री साबीर मोहम्मद निवासी मकान नं0 260, मुखर्जी चौक, सब्जी मण्डी, उदयपुर हाल अधिशासी अभियंता, कार्यालय नगर निगम, उदयपुर को परिवादी से **50 हजार रुपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक, श्री हेमन्त प्रियदर्शी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।